[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 17/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,--

(i) 22 जुलाई, 2017 से, नियम 24 के उपनियम (4) में, "नियत तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "30 सितंबर, 2017 को या उससे पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(i i) नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--

"**34. मूल्य के अवधारण के लिए भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर—**(1) कराधेय माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के निबंधनों में ऐसे मालों की पूर्ति के समय की तारीख के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विनिमय की लागू दर होगी ।

(2) कराधेय सेवाओं के मूल्य का अवधारण करने के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के निबंधनों में ऐसी सेवाओं की पूर्ति के समय

की तारीख को साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अवधारित लागू विनिमय दर होगी ।";

(iii) 1 जुलाई, 2017 से नियम 44 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अवधारण पृथकत: किया जाएगा ।

(3) जहां स्टॉक में रखे गए इनपुट से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं हैं वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी घटना के होने की प्रभावी तारीख को मालों की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर उपनियम (1) के अधीन रकम का आकलन करेगा ।";

(iv) नियम 46 के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि माल या सेवाओं के निर्यात की दशा में बीजक पर, यथास्थिति, "निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति" या "निर्यात/एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को एकीकृत कर का संदाय किए बिना बंधपत्र या वचनबंध के अधीन प्राधिकृत प्रचालनों के लिए पूर्ति का पृष्ठांकन होगा और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता ;

(ii) परिदान का पता ; और

(iii) गंतव्य देश का नाम :";

(v) 1 जुलाई, 2017 से नियम 61 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर – 1** और धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर – 2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार किया गया है और ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आयुक्त

अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि रिटर्न इलैक्ट्रानिक रूप में **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(6) जहां **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** में कोई रिटर्न **प्ररूप जीएसटीआर – 2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है—

(क) **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में रिटर्न का **भाग-क प्ररूप जीएसटीआर – 1, प्ररूप जीएसटीआर – 2** के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के और पूर्ववर्ती कर अवधियों के अन्य दायित्वों के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा तथा उक्त रिटर्न का **भाग-ख** कर अवधि के संबंध में प्रस्तुत **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** के आधार पर इलैक्ट्रानिकी रूप से सृजित किया जाएगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर – 3ख** में रिटर्न और **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में रिटर्न के बीच विसंगतियों, यदि कोई हों, के आधार पर **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में रिटर्न **भाग-ख** को उपांतरित करेगा और अपने कर दायित्वों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेगा ;

(ग) जहां **प्ररूप जीएसटीआर – 3** में कर प्रत्यय की रकम **प्ररूप जीएसटीआर – 3** के निबंधनों में इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त रकम का रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्रत्यय किया जाएगा ।";

(vi) 1 जुलाई, 2017 से नियम 83 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, "उपधारा" शब्द के स्थान पर, "उपनियम" शब्द रखा जाएगा ।

(vii) 1 जुलाई, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के खंड (ङ) में, "उपधारा" शब्द के स्थान पर, "खंड" शब्द रखा जाएगा ।

(viii) 1 जुलाई, 2017 से **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन – 1** में क्रम सं. 7 में, सारणी (क) में स्तंभ (2) के शीर्ष के स्थान पर "यथा लागू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा ;

(i x) 1 जुलाई, 2017 से **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन – 2** में क्रम सं. 4 और 5 में, सारणी में स्तंभ (1) में शीर्ष के स्थान पर "यथा लागू एचएसएन" शीर्ष रखा जाएगा ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 15/2017-केंद्रीय कर तारीख 1 जुलाई, 2017, जो सा.का.नि. सं. 819(अ) तारीख 1 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।